अनुलग्नक-- 09 (द्रष्टव्य कंडिका 3.3)

बाढ़ आपदा के दौरान नाव/नाविकों के संबंध में दिशा निर्देश का पत्र

पत्रांक 12 (प्र०) /आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर० के० सिंह

प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी

बाढ़ आपदा से प्रभावित सभी जिले।

पटना-15, दिनांक- 17/01/06

विषयः बाढ़ आपदा के दौरान नाव-नाविकों के संबंध में दिशा निदेश।

महाशय,

विगत वर्षों का यह अनुभव रहा है कि बाढ़ के आने के पश्चात नाव-नाविकों की खोज की जाती है, तथा उन्हें परवाना निर्गत किया जाता है। यह भी अनुभव रहा है कि परवाना निर्गत कर बाढ़ के दौरान इन परवाना प्राप्त नाविकों के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से पूर्व की तरह ही शुल्क की वसूली की जाती है और कहीं-कहीं यह शुल्क सामान्य दर से अत्यधिक होता है। इस प्रकार राहत एवं बचाव कार्य, में जहां एक ओर बिलम्ब होता है वहीं दूसरी ओर प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सरकारी राशि के व्यय के बाद भी अपने स्तर से नाविकों को भुगतान करना पड़ता है। यह स्थिति सर्वथा आपत्तिजनक है। इस परिपेक्ष्य में कुशल आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

1. नाव एवं नाविकों को पूर्व से ही identify करके उनकी सूची रखी जाय।
2. आपदा के लिए अधिग्रहित प्रत्येक नाव को एक अलग registration number दिया जाए जो उक्त नाव पर paint कर दिया जाएगा। बिना registration number के नाव का भुगतान कदापि नहीं होगा।

3. जिले के प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में नाव परिचालन हेतु स्थल - start point तथा destination को चिन्हित कर दिया जाय और उसपर सरकारी नाव सेवा प्रारम्भ करने की वहां सरकारी घाट का बोर्ड लगा दिया जाए।

4. चिन्हित स्थलों के अनुसार ही परवाना निर्गत किया जाय।

5. इस प्रकार चिन्हित स्थलों की सूची प्रत्येक पंचायत भवन/ अंचल/प्रखंड कार्यालय अनुमंडल कार्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आमजनों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाय।

6. हरेक नाव पर अलग-अलग लॉग बुक खोला जाय। लॉग बुक नाव पर उपलब्ध रहेगा। हल्का कर्मचारी उक्त नाव परिचालन का प्रत्येक तीन दिन में एक बार log book में सत्यापन करेंगे।

7. नाविकों द्वारा इस प्रकार सत्यापित किये गये जल मार्ग में नाव परिचालन के विरूद्ध हो प्रावधान किया जाय।

विश्वासभाजन

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव